

सूचना का अधिकार ①  
(आर.टी.आई.)

दिनांक:- 27/06/2017

सेवा में,  
श्री मान लोक सूचना अधिकारी  
कार्यलय:- दिल्ली पुलिस उपायुक्त  
(नई दिल्ली जिला)  
पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1.

MAX
SIP
DIAG
DATE
TIME
STATUS
REMARKS
NO.

17311

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्रदान कराने हेतु पत्र।  
महादयजी,  
हमें आप के नई दिल्ली जिला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाला पुलिस थाना -  
मोन्दर मार्ग, नई दिल्ली-1 से जुड़ी निम्नीलाखत सूचनायें उपलब्ध कराने का वास्तविक  
हमारे द्वारा मांगी सूचनायें इस प्रकार निम्नीलाखत प्रमाणुसार हैं।

- (I) नाम:- सत्यवान, पुत्र:- स्व. ज्जी कालूराम, पुराना पता:- दुर्गा मोन्दर, ब्लाक नं. 24/24, लडा-  
हाडिंग हस्पताल, कैम्पस, पी.के. रोड, नई दिल्ली-110001, व 24/24, ल. हा. ह. कैम्पस  
पी.के. रोड, नई दिल्ली-1. से जुड़ी सूचनायें उपलब्ध करायें।
- (II) नाम:- सत्यवान, पुत्र स्व. ज्जी कालूराम, F.I.R. No. 508/वा, दिनांक:- 02/06/16  
पं.ड. 307/34, I.P.C. पुलिस स्टेशन पहाड गंज, नई दिल्ली (जिला:- मध्य दिल्ली)
- (III) F.I.R. No 71/71, दिनांक:- 24/02/16, पं.ड. 160, I.P.C. पुलिस स्टेशन मोन्दर  
मार्ग, नई दिल्ली-1. (जिला:- नई दिल्ली)

महादयजी हमें इन तीनों F.I.R. को प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें जाएं। वे भी  
सत्यापित कराने के उपलब्ध करायें।

- (I) सत्यवान, पुत्र:- स्व. ज्जी कालूराम पर आप के अन्तर्गत आनेवाले जिला व  
थाना में इस व्यक्ति को कब-कब और कान-कान से थाना में गिरफ्तार किया  
गया। पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध करायें।
- (II) सत्यवान को गिरफ्तारी की तारीख-सन, व F.I.R. व कान-कान से धाराओं  
के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया? पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध करायें।
- (III) आप के क्षेत्र व अन्य क्षेत्र से कब-कब गिरफ्तार किया गया है जैसा कि पूर्ण  
दिल्ली से व अन्य राज्यों से भी गिरफ्तार किया गया है या कोई जानकारी है तो

पूर्ण विवरण सहित बतायें?

III इन तीनों कैसी के अलवा कमी भी - सन 2017 तक भी गिरफ्तार किया गया है तो विवरण सहित उपलब्ध कराएँ।

हमारे द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना..... सूचना का अधिचार अधिनियम - 2005 का धारा - 6(1) के तहत नहीं आता। इस लिए बिना कारण सूचना देने से मना किया नहीं जाता। क्योंकि हमारे द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना से देश व अखण्डता व जांच एवं सुरक्षा व भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार इन से सम्बन्धित नहीं है।

यदि हमारे द्वारा मांगी गई सूचना आप के विभाग/कार्यलय से सम्बन्धित नहीं है तो आप सूचना का अधिचार अधिनियम - 2005 का धारा - 6(1) का संज्ञान लेती हुए हमारे आवेदन पत्र को सम्बन्धित विभाग को पाँच (5) दिनों के समावाधि के अन्तर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्राधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराएँ समय प्रथम अपील - अधिचारी का नाम, पता, फोन नं. मो. नं. उपलब्ध कराएँ। व मित्रम अनुसार हमें भी सूचित करें।

यूपमा हमारे द्वारा मांगी गई सभी सूचनायें हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में ही दी जायें। व सत्यापित कर कर ही दी जायें। व जिस प्रकार हमने प्रमाणुसार सूचना मांगी है उसी प्रकार से आप भी एक-एक प्रमाणुसार ही सूचनायें उपलब्ध कराएँ। व कोई भी सूचना वेंवसा डूड पर बता कर अपना पल्लान न माड़ा जायें। क्योंकि आवेदन को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है।

नोट:- धारा-5, के अन्तर्गत हमारे द्वारा मांगी गई सभी सूचनायें - (स्पिड-पोस्ट) द्वारा ही प्रदान की जायें।

हम इस आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क - रु 10 रूपये, भारतीय डाक पोस्टल आर्डर संख्या :- 36 F 293058 द्वारा भेज रहे हैं। जिसे हम बिना किसी के नाम से - भेज रहे हैं। क्योंकि जिसके नाम से आप चाहते हैं की स्वयं ही भर लेना है।

सभी सूचनायें समावाधि में ही उपलब्ध कराएँ। प्रमाणुसार ही सूचनायें उपलब्ध कराएँ।

धन्यवाद!  
आवेदक - अनोहर लाल

नाम:- एम. एल. वश्यप 27/06/2017  
पता:- बी- पाठ/1, गली नं. 20, मेन माविट,  
मजनपुरा, दिल्ली-53.  
फोन नं. 9810844427 - 7206670058